ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 119-120**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

प्राचीन पारिवारिक संरचना (संयुक्त परिवार) में परिवर्तन और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव

1. प्रो0 कीर्ति पाण्डेय
2. पूनम मिश्रा

1. प्रोफेसर, 2. शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, (उ0प्र0) भारत

Received-05.07.2024, Revised-13.07.2024, Accepted-20.07.2024 **E-mail : Poonamanvitiwari@gmail.com**

सारांश: *भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रुप में यहाँ संयुक्त परिवार का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है, भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरुप संयुक्त परिवार रहा है। भारतीयों के लिए परिवार का वही अर्थ है, जो अंग्रेजी के जॉइण्ट फैमली से लिया जाता है। कर्वे का मत है, कि "यहा (भारत में) परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है। भारतीय धर्म, दर्शन, अर्थव्यवस्था जाति प्रथा वर्ण, आश्रम व्यवस्था यहाँ के सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। इस सभी में परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह हिन्दू संस्कृति का संचालक सूत्र रहा है। हिन्दूओं में विवाह एवं परिवार को धर्म का अंग माना गया है। वैदिक काल से लेकर अब तक भारत में संयुक्त प्रणाली रही है, चाहे इसके स्वरुप और संरचना में परिवर्तन आते रहे हो। प्राचीन वैदिक परिवार पितृ–स्थानीय, पितृ वंशीय एवं पितृ–सत्तात्मक होते थे। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परम्परा कहा है। जो भारतीयों को वर्षो से सामाजिक परम्परा के रुप में मिलता रहा है। पणिक्कर ने कहा है, कि सैद्धान्तिक रुप में असम्बन्धित होते हुए भी ये दोनों संस्थाए जाति और संयुक्त परिवार व्यवहारिक रुप में एक दूसरे से इस प्रकार गुथी हुई है कि वे एक सामान्य संस्था हो गयी है। हिन्दू समाज की इकाई व्यक्ति न होकर संयुक्त परिवार है। भारतीय जीवन को समझने के लिए यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था को समझना अत्यन्त आवश्यक है।*

कुंजीभूत शब्द– परिवारिक संरचना, संयुक्त परिवार, भारतीय समाज, शास्त्रीय स्वरूप, भारतीय धर्म, दर्शन, अर्थव्यवस्था

संयुक्त परिवार की विशेषता–

- सामान्य निवास
- सामान्य रसोई घर
- सामान्य सम्पत्ति
- सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य
- रक्त सम्बन्ध से सम्बन्धित
- बड़ा आकार
- अधिकार और दायित्व
- सामान्य सामाजिक कार्य
- परिवार का मुखिया
- सहयोगी व्यवस्था
- सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण
- तुलनात्मक स्थायित्व

संयुक्त परिवार के प्रकार–

1. सत्ता वंश एवं स्थान के आधार पर–

I. पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार
II. मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय परिवार

2. सम्पत्ति में अधिकार की दृष्टि से–

I. मिताक्षरा संयुक्त परिवार
II. दायभाग संयुक्त परिवार

संयुक्त परिवार के विघटन के कारण–

1. औद्योगीकरण
2. नगरीकरण
3. पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव
4. कानूनों का प्रभाव
5. पारिवारिक झगड़े
6. परिवार के कार्यो का घटना
7. महिला आन्दोलन
8. जनसंख्या वृद्धि
9. यातायात एवं संचार के साधन
10. सामाजिक सुरक्षा

संयुक्त परिवार की आधुनिक प्रवृत्तियां एवं परिवर्तन–

संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन :

1. आकार में परिवर्तन
2. कर्ता की सत्ता में ह्रास
3. स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि
4. विवाह के रुप में परिवर्तन
5. अस्थायित्व
6. पारिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तन
7. सामूहिकता के तत्वों में कमी

संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन–

1. शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन
2. धार्मिक कार्यों में परिवर्तन
3. आर्थिक कार्यों में परिवर्तन
4. मनोरंजन के कार्यों में परिवर्तन

संयुक्त परिवार में नारी की स्थिति और बदलाव– भारतीय समाज में महिलाओं को संयुक्त परिवार की शक्ति का केन्द्र माना जाता है भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति स्वरुप माना गया है और उन्हें गृहलक्ष्मी की मान्यता दी गई

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

है। महिलाओं को त्याग, दया, क्षमा, प्रेम, वीरता और बलिदान का प्रतिक माना जाता है, हालांकि महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ चुनौतियां भी है :

1. महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा तक पहुँचाने में दिक्कत होती है।
2. महिलाओं को रोजगार और नौकरी की गुणवत्ता में लैंगिक असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
3. महिलाओं को कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरो में रखा जाता रहा है।
4. महिलाओं को घरेलू हिंसा की प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है।
5. महिलाओं को पुरुष के मानसिक दबाव, अनाशक्ति और बेरुखी से भी मानसिक यातना से गुजरना पड़ता है।

हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नही पाया है उनका अपना स्वतंत्र आस्तित्व नही है या यूँ कहे कि हमारा पितृसत्तात्मक समाज उन्हे जन्म से ही ऐसे साँचे में ढालने लगता है कि वे अपने आस्तित्व को बचाए रखने के लिये पुरुषों का सहारा ढूँढती है वही यह भी सत्य है कि "जब–जब कोई स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है तब तक न जाने कितने रीति–रिवाज, परमपराओं, पौराणिक आख्यानों की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने पर विवश कर दिया जाता है।" इसलिए यह जानना बेहद जरुरी है कि तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर भारत में शैक्षिक, सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने अब तक कितनी दूरी तय की है :

1. शिक्षा के बेहतर अवसर।
2. महिलाओं की सुरक्षा।
3. शासन के निम्नतम स्तर पर निर्दिष्ट कार्य।
4. शिक्षा में प्रोत्साहन।
5. ग्रामिण स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार।
6. ग्रामिण विकास से महिला नेतृत्वकारी विकास की और।
7. रोजगार प्राप्ति हेतु शिक्षा व्यवस्था।
8. रोजगार के बेहतर अवसर।

20वीं सदी के उत्तसई और अब 21वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी व्यवहार बनने लगे है नौकरी वाले नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में बदलाव आया है पहले नौकरी वाली औरत के पति को परिवार और समाज में औरत की कमाई खाने वाला कह कर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री स्वातय में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भुत है। स्त्रियां अब धर्नाजन का कर परिवार में अपना आर्थिक योगदान दे रही है जिससे पुरुषों की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है आर्थिक दृष्टि से नारी सिर्फ घर के कामों तक ही न सिमट कर बल्कि अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनिया में नारिया बहुत आगे है।

आज की नारी परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ राजनिति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहूँचकर नये आयाम गढ़ रही है आजादी के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी है। भारत के अग्रणी साफ्टवेयर उद्योग में दो प्रतिशत पेशेवर महिलाएं है। फौज, राजनिति, खेल पायलत तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहां पहले महिलाओं के होने की कल्पना भी नही की जा सकती थी वहाँ सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नही कर पायी है बल्कि वही सफल भी हो रही है। यदि परिवार व समाज का विकास करना है तो महिलाओं को उत्थान करना होगा महिलाओं का विकास होने पर परिवार व समाज का विकास स्वतः हो जायेगा। महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ उससे समाज में एक नयी जागरुकता उत्पन्न हुई है। बाल विवाह भ्रूण हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का अथक प्रयास हुआ है।

निष्कर्ष के रुप में हम कह सकते है कि आजादी के बाद से अब तक भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में एक लम्बा रास्ता तय किया है परन्तु अभी भी मंजिल से मीलों दूर है। तेजी से भागते समय के इस पहिये के साथ हमारी रफ्तार बहुत धीमी है और इस रफ्तार को तभी बढ़ाया जा सकता है जब भारतीय समाज पितृसत्तात्मक मानसिकता से ऊपर उठकर महिलाओं को भी पुरुषों के समान बराबरी के अधिकार प्रदान करेगा। हालाँकि हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए है लेकिन यहाँ का समाज अपने नियमों के अनुसार महिलाओं को संचालित करता है, जिसमें बदलाव की सख्त जरुरत है। साथ ही इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि हमें नारी शक्ति का उद्धारक नही वरन् उनका सहायक बनना है भारतीय महिलाओं भी संसार की अन्य महिलाओं की तरह अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है आवश्यकता बस इतनी है कि उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएँ, उनका वस्तुकरण करने के बजाए उन्हें मनुष्य समझा जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1– के० एक० कापडिया, भारत में विवाह एवं परिवार पृ० 243
2– डॉ० दुबे मानव और संस्कृति पृ० 112
3– एम. एल. गुप्ता डी० डी० शर्मा भारतीय समाज एवं सामाजिक संस्थाएँ (1986)
4– दृष्टि आई ए एस ब्लॉग (7 मार्च 2023)

*****